पेप्सी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानक पर खरा : सेठ

अहमदाबाद। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (निर्यात) अभिराम सेठ ने कहा कि पेप्सी के उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं।

उन्होंने बताया कि पेप्सी के सभी उत्पाद भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानदंड का पालन करते हैं। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2004 को नोटिफाइड की गई कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए बनाए गए नियम भी शामिल किए गए हैं। कार्यकारी निदेशक सेठ ने बताया कि पानी के लिए यूरोपियन यूनियन के मापदंड के अनुसार कुल जंतुनाशक अवशेष 0.5 पीपीबी के तहत हैं। उन्होंने बताया कि ग्राहकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए निर्मित कारगर नियंत्रणों का स्वागत करते हैं तथा रासायनिक एवं वैज्ञानिक नियमों के तहत किसी भी परीक्षण के लिए हमेशा तैयार हैं।

निदेशक अभिराम सेठ ने कहा कि पेप्सी के विरुद्ध चलाए गए दुष्प्रचार का थोड़ा बहुत असर पड़ा है लेकिन आगे विकास की गतिशीलता में दिन ब दिन सुधार होता जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कम्पनी ने पानी, शुगर एवं फ्लेवरिंग्स के संयुक्त संसदीय समिति के निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार विश्लेषण किया है। इसमें यूरोपियन यूनियन के मापदंड के अनुसार 0.5 पीपीबी के तहत जंतुनाशक अवशेष पाए गए। इस अवसर पर कम्पनी की निदेशक एनी किषेन भी उपस्थित थीं। (मणि)